अनुदान संख्या 24 – स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 24 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	103673,66,00	103673,71,00	81611,53,80	-22062,17,20
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15062,16,63

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	2322777.00	2167509.32	1467508.77	-700000.55
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-155269.68			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्व क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	491977.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-491978.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7418011.00			
पू.	S.	1.00	6570440.30	6570440.29	-0.01
पु.	R.	-847571.70			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	131601.00			
पू.	S.	1.00	120383.40	120383.40	..
पु.	R.	-11218.60			

(I) ₹1212905.14 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2021 में प्राप्त किए गए ₹3.14 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1211571.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹1212905.14 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.14 lakhs obtained in July, 2021) remained wholly unutilized under fifty heads; of these ₹1211571.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(A) Major Head "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय – प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षा कार्यक्रम (ध्रुव)" – ₹550.00 लाख – स्कीम के परिचालन न होने के कारण हुई।

(a) "Elementary Education - Other Expenditure - Pradhan Mantri Innovative Learning Programme (DHRUV)" – ₹550.00 lakhs- due to non-operationalization of the Scheme.

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" – आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (मुस्क) को निधि अंतरण के लिए निधियां" – ₹700000.00 लाख – मस्क की लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(b) "Secondary Education - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)"- ₹700000.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure of MUSK.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा – गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"–

(i) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹39800.00 लाख;

(ii) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹29594.00 लाख;

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹70528.00 लाख;

(ii) "समग्र शिक्षा" – ₹143796.00 लाख;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/ निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यार्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ग) "प्रौढ़ शिक्षा" – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम –पढ़ना लिखना अभियान'' – ₹2093.00 लाख; और

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "पढ़ना लिखना अभियान" – ₹604.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान 'पढ़ना लिखना अभियान' योजना जिसका एनआईएलपी के रुप मे पुनर्नामकरण किया गया, के अप्रचालनात्मक रहने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण प्रावधान मे कटौती के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –₹18210.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹9200.00 लाख;

(B) Major Head "2552" -

(a) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹39800.00 lakhs ;

(ii) "Samagra Shiksha - Secondary Education"- ₹29594.00 lakhs;

(b) "Elementary Education – Other Expenditure" -

(i) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools"- ₹70528.00 lakhs;

(ii) "Samagra Shiksha" - ₹143796.00 lakhs;

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(c) "Adult Education – Other Adult Education Programme - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹2093.00 lakhs; and

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Padhna Likhna Abhiyan"- ₹604.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remaind unutilized due to ' Padhna Likhna Abhiyan' which was rechristened as NILP remained unoperational and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Elementary Education- Other Expenditure"- ₹18210.00 lakhs;

(iii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹9200.00 lakhs;

(iv) "समग्र शिक्षा" – ₹22807.00 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹26262.00 लाख;

(ii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹4500.00 लाख; और

(iii) "समग्र शिक्षा" – ₹123803.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें'' –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पढ़ना लिखना अभियान" – ₹13308.00 लाख;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पढ़ना लिखना अभियान'' – ₹3835.00 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पढ़ना लिखना अभियान – ₹2032.00 लाख; और

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पढ़ना लिखना अभियान'' – ₹649.00 लाख

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान "पढ़ना लिखना अभियान" स्कीम, जिसका एनआईएलपी के रूप में पुनर्नामकरण किया गया, के अप्रचालनात्मक रहने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती करने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(iv) "Samagra Shiksha"- ₹22807.00 lakhs;

(e) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Elementary Education- Other Expenditure" - ₹26262.00 lakhs;

(ii) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹4500.00 lakhs; and

(iii) "Samagra Shiksha" - ₹123803.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹13308.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹3835.00 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Padhna Likhna Abhiyan" - ₹2032.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistanc/Share – Padhna Likhna Abhiyan" - ₹649.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to the Scheme "Padhna Likhna Abhiyan" which was rechristened as NILP remained unoperational and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "प्रारंभिक शिक्षा"–

(क) "निर्देशन और प्रशासन – शिक्षण को सुदृढ़ करना – शिक्षा और राज्यों के लिए परिणाम" – ₹1504.36 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" –

(i) राष्ट्रीय घटक" – ₹620.00 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विज्ञापन प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र को सहायता'' – ₹1285.56 लाख की बचत (₹4010.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹692.36 लाख की बचत (₹776.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से आवर्ती अनुदान और निर्माण गतिविधियों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Elementary Education" -

(a) "Direction and Administration - Strengthening Teaching - Learning and Results for States (STARS)" - saving of ₹1504.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(b) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" -

(i) "National Component"- saving of ₹620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals towards advertisement and economy measures.

(ii) "Assistance to Union Territories without legislature" - saving of ₹1285.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4010.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from Union Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Programme of Mid-Day Meals in Schools"- saving of ₹692.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹776.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals under recurring grants and construction activities from the Union Territories and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹17825.83 लाख की बचत (₹49800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, एलटीसी के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ख) "छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹4943.54 लाख की बचत (₹25544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के बंद होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹2752.84 लाख की बचत (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – छात्रवृत्तियां" – ₹1950.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ड.) "आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण" – "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹180000.00 लाख की बचत (₹480000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – पढ़ना लिखना अभियान'' – ₹1554.52 लाख की बचत (₹1735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'पढ़ना लिखना अभियान' स्कीम जिसका एनआईएलपी के रूप में पुनर्नामकरण हुआ के बंद रहने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(B) "Secondary Education" -

(a) "Research and Training - Grant to Autonomous Bodies" - saving of ₹17825.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, LTC and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Scholarships- Scholarships"- saving of ₹4943.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25544.00 lakhs) was due to non-operationalization of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarships"- saving of ₹2752.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub-Plan- Scholarships"- saving of ₹1950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(e) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts – Funds for Transfer to National Investment Fund"- saving of ₹180000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹480000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - Padhna Likhna Abhiyan" - saving of ₹1554.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1735.00 lakhs) was due to the Scheme 'Padhna Likhna Abhiyan' which was rechristened as NILP remained unoperational and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹83644.08 लाख की बचत (₹1580572.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹93642.40 लाख की बचत (₹283435.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अधीन बचतें राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ग) "शिक्षण का सुदृढ़ीकरण – शिक्षा और राज्यों के लिए परिणाम'' – ₹6092.89 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई; और

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान'' – शिक्षण का सुदृढ़ीकरण – शिक्षा और राज्यों के लिए परिणाम'' – ₹2877.66 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुईं।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"–

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम" – ₹20160.85 लाख की बचत (₹208394.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/ Share" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹83644.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1580572.00 lakhs); and

(b) "Samagra Shiksha - Secondary Education" - saving of ₹93642.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹283435.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals for recurring grants from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹6092.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs); and

(B) Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)"- saving of ₹2877.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹20160.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹208394.00 lakhs);

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹128611.08 लाख की बचत (₹498540.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹42055.35 लाख की बचत ₹89102.00 स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों और निर्माण गतिविधियों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "शिक्षण सुदृढ़ीकरण – शिक्षा और राज्यों के लिए परिणाम" – ₹5178.47 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना'' –

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम" – ₹4416.00 लाख की बचत (₹107406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों और निर्माण गतिविधियों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ख) "समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹3262.15 लाख की बचत (₹34615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से आवर्ती अनुदानों के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹128611.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹498540.00 lakhs); and

(c) "Samagra Shiksha - Secondary Education" - saving of ₹42055.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89102.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals for recurring grants and construction activities from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹5178.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹4416.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107406.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants and construction activities from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Samagra Shiksha - Secondary Education" - saving of ₹3262.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34615.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "शिक्षण सुदृढ़ीकरण – शिक्षा और राज्यों के लिए परिणाम" – ₹1503.17 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड़ा) "आरक्षित निधि/जमा लेखों के अंतरण – प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण हेतु निधियां'' ₹521175.00 लाख की बचत (₹3700000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें'' – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "विद्यालयों के राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹5300.00 लाख की बचत (₹20120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹9323.38 लाख की बचत (₹62420.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'' – ₹1440.00 लाख की बचत (₹3120.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" – समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹8083.00 लाख की बचत (₹13702.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹1503.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs); and

(E) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" - saving of ₹521175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:

(A) "Central Assistance/ Share" -

(a) "National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹5300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20120.00 lakhs);

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹9323.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62420.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - saving of ₹1440.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3120.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹8083.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13702.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू व कश्मीर से आवर्ती अनुदानों और निर्माण गतिविधियों के किए व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(V) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹711.70 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत और 93 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14234.11 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2021 और मार्च 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) "प्रारंभिक शिक्षा – समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा'' ₹13321.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि , ₹13320.99 लाख था।

(खा) "माध्यमिक शिक्षा"–

(क) "समग्र शिक्षा – समग्र शिक्षा – ₹496.73 लाख।

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – समग्र शिक्षा'' – ₹415.88 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹415.87 लाख था।

(II) बचतों को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गयाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य शिक्षा" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा"

(i) गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान'' – ₹33893.85 लाख का अधिक व्यय (920000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

Savings under the above four heads were due to less receipt of viable proposals for recurring grants and construction activities from Union Territories of Delhi, Puducherry and J&K and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under two heads savings of ₹711.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 37 percent and 93 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹14234.11 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in July, 2021 and March, 2022 under Major Head "2202" - under the following heads: -

(A) "Elementary Education - Samagra Shiksha - Samagra Shiksha" - ₹13321.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹13320.99 lakhs.

(B) "Secondary Education" -

(a) "Samagra Shiksha - Samagra Shiksha" - ₹496.73 lakhs.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha" - ₹415.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹415.87 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2202" - "General Education" -

(a) "Secondary Education" –

(i) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies" - excess of ₹33893.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹920000.00 lakhs);

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान'' – ₹8000.00 लाख का अधिक व्यय (₹58100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान'' – ₹3900.00 लाख का अधिक व्यय (₹35400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹22470.85 लाख का अधिक व्यय (₹688122.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹61753.54 लाख का अधिक व्यय (₹165149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियाstनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹12536.72 लाख का अधिक व्यय (₹17067.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies" - excess of ₹8000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58100.00 lakhs);

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies"- excess of ₹3900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35400.00 lakhs);

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" –

(a) "Central Assistance / Share - National Programme of Mid-Day Meals in Schools" - excess of ₹22470.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹688122.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha - Elementary Education" - excess of ₹61753.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹165149.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" –

(a) "Central Assistance/Share - Samagra Shiksha - Secondary Education" - excess of ₹12536.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17067.00 lakhs);

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा" – ₹756.58 लाख का अधिक व्यय (₹2404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समग्र शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – ₹709.77 लाख का अधिक व्यय (₹2404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय आवर्ती अनुदानों और गैर आवर्ती के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तात्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय "समग्र शिक्षा अभियान" और "मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता से व्यय किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Samagra Shiksha - Secondary Education" - excess of ₹756.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2404.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha - Secondary Education" - excess of ₹709.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2404.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to the requirement of additional funds towards recurring and non-recurring grants.

3. Prarambhik Shiksha Kosh

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalization of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Samagra Shiksha Abhiyan' and "Mid-Day Meal Scheme" Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2021–22 में ₹31788,25,00 हजार का प्रावधान किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2021–22 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

A provision of ₹31788,25,00 thousands was made in the Union Budget 2021-22 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2021-22 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Samagra Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2021–22 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for the year 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipts	31788,25,00
अदायगियां	Payments	31788,25,00
अंतशेष	Closing Balance	2242,89,63